राष्ट्रीय पोषण मिशन

1. उदेश्य

राष्ट्रीय पोषण मिशन के तहत बच्चों, किशोरी बालिकाओं, गर्भवती एवं धातृ महिलाओं के पोषण के स्तर में सुधार हेतु कार्यक्रम चलाये जाते है।

2. निधि का संवितरण

राष्ट्रीय पोषण मिशन अन्तर्गत् केन्द्रांश तथा राज्यांश का अनुपात 60:40 है।

3. देय राशि

इसके अन्तर्गत सभी लाभार्थियों को प्रति माह टेक होम राशन एवं कौशल विकास हेतु प्रशिक्षण दिया जाता है।

4. पात्रता

11 से 14 वर्ष की स्कूल नही जानेवाली किशोरी बालिकाएँ आच्छादित होती है।

5. प्रक्रिया

ऑगनबाडी केन्द्र की संबंधित योजना की पंजी में नाम अंकित कराकर निर्धारित मापदण्ड का अनुपालन करते हुए लाभ प्राप्त करते है।

6. उपयोगिता प्रमाण पत्र की प्रक्रिया

बाल विकास परियोजना पदाधिकारी द्वारा राशि की उपयोगिता प्रमाण-पत्र जिला प्रोग्राम पदाधिकारी के माध्यम से आई0सी0डी0एस0 निदेशालय को भेजा जाता है। आई0सी0डी0एस0 निदेशालय द्वारा विभागीय अनुमोदनोपरान्त उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकार/भारत सरकार को भेजा जाता है।

7. अनुश्रवण की प्रक्रिया

किशोरी बालिकाओं के लिए योजना की निगरानी ऑगनबाड़ी केन्द्र स्तर पर गठित ऑगनबाड़ी विकास समिति द्वारा की जाती है।

सामाजिक अंकेक्षण - साथ ही ऑगनबाड़ी केन्द्र पर दी जाने वाली सेवाओं का वर्ष में दो बार सामाजिक अंकेक्षण कराया जाता है तथा समय-समय पर राज्य स्तर तथा जिला स्तर पर गठित टीम द्वारा भी निरीक्षण किया जाता है।

पर्यवेक्षण/निरीक्षण - इसके अतिरिक्त ऑगनबाड़ी केन्द्रों के पर्यवेक्षण/निरीक्षण हेतु औसतन 25 ऑगनबाड़ी केन्द्रों पर एक महिला पर्यवेक्षिका, परियेाजना स्तर पर बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, जिला स्तर पर जिला प्रोग्राम पदाधिकारी पदस्थापित है।

सूचना तकनीक से अनुश्रवण - ऑगनबाडी केन्द्रों द्वारा दी जाने वाली सेवाओं में पारदर्शिता लाने हेतु ICT-RTM (Information Communication Technology-Real Time Monitoring) अन्तर्गत 'ICDS-CAS' (Common Application Software) तथा ''ऑगन'' ऐप के द्वारा भी ऑगनबाडी केन्द्रों का अनुश्रवन होगा।

8. शिकायत निवारण एवं एस्केलेशन मैट्रिक्स

अनुमण्डल स्तर पर लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, जिला स्तर पर जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी एवं विभाग स्तर पर विभागीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी का कार्यालय कार्यरत है जहाँ इस योजना अंतर्गत विभिन्न योजनाओं से सम्बंधित शिकायत और अपील दायर की जा सकती है। साथ ही परियोजना स्तर पर बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, जिला स्तर पर जिला प्रोग्राम पदाधिकारी/जिला पदाधिकारी, प्रमण्डल स्तर पर प्रमण्डलीय आयुक्त तथा राज्य स्तर पर निदेशक, आई0सी0डी0एस0 एवं अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, समाज कल्याण विभाग से लिखित/दूरभाष पर सम्पर्क कर समस्या को दर्ज करा सकते है।